झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2018 के अध्याय–9 में वर्णित राज्य निःशक्तता आयुक्त हेतु वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं अर्हताधारी सरकारी सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों/अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त के लिए अर्हता –

राज्य निःशक्तता आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात :–

(i) दिव्यांगजन के पुनर्वास से संबंधित मामलों के संबंध में उनके पास विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है;

(ii) वह वर्ष के 01 जनवरी को साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किये हैं, जिस वर्ष में राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होती है ;

(iii) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पद पर उनकी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति करेंगे; तथा

(iv) इनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताऐं और अनुभव है, अर्थात :–

(क) शैक्षिक योग्यता :–

(i) **जरुरी** : एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ii) **वांछनीय** : सामाजिक कार्य या कानून या प्रबंधन या मानवाधिकार या दिव्यांगजनों के पुर्नवास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा।

(ख) अनुभव :–

समूह 'क' स्तर का समकक्ष पद या निम्नांकित अन्य वर्णित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव :–

(i) केन्द्र या राज्य सरकार में या

(ii) लोक उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वायत संस्था जो दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है या

(iii) दिव्यांग या सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे एक पंजीकृत राज्य या राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छित संगठन में एक वरीष्ठ स्तर के अधिकारी की क्षमता में काम करता है।

(iv) दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम कुल 20 वर्षों का अनुभव।

(2) वेतन एवं भत्तेः–

(I) कार्यरत सरकारी सेवक की नियुक्ति के मामले में

राज्य निःशक्तता आयुक्त का वेतनमान रु० 37400-67000 तथा ग्रेड पे0 रु० 10,000=00 होगा।

(II) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक/गैर सरकारी व्यक्ति के नियुक्ति के मामले में

यदि राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर गैर सरकारी व्यक्ति नियुक्त होते हैं तो उन्हें रु० 60,000=00 (साठ हजार रूपये) प्रतिमाह नियत वेतन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाऐं भी देय होगा।

(5) राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यावधि :–

(i) राज्य निःशक्तता आयुक्त, दिव्यांगजन को 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा सेवा की अवधि विस्तार अधिकतम दो वर्षों तक किया जा सकेगा या जबतक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

(6) विज्ञापन में वर्णित शर्त्तों के अतिरिक्त अन्य शर्त्ते झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली– 2018 के अनुरुप होगी।

(7) **आवेदन देने की प्रक्रिया –** इच्छुक आवेदक अपने बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ **प्रधान सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची–834004** में अपना आवेदन सिर्फ निबंधित डाक से भेज सकते है। आवेदक लिफाफे के ऊपर बड़ें अक्षरों में **" राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र "** अंकित करेंगे। राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति से संबंधित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली– 2018 अन्तर्गत अध्याय– 9 की प्रति विभागीय वेबसाईट socialwelfare.jharkhand.gov.in/recruitment पर उपलब्ध है।

(8) **आवेदन देने की अंतिम तिथि –** दिनांक–22 **फरवरी, 2021 के अपराह्न 5.00 बजे** तक। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

02/02/2021

(राजेश्वर नाथ आलोक)
सरकार के अवर सचिव

Scanned with CamScanner